शपथ पत्र नहीं देने वाले 800 छात्रों का रोका जा सकता है परीक्षाफल

बार काउंसिल आफ इंडिया (बीसीआइ) के निर्देशों का करना होगा सख्ती से पालन

जागरण संवाददाता, देहरादून : वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (यूटीयू) के विधि पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) के निर्देशों के अनुरूप शपथ पत्र विवि को अभी तक जमा नहीं किए, जिससे यूटीयू ने करीब 800 छात्रों के विषम सेमेस्टर परीक्षाफल रोकने का निर्णय लिया है। संबद्ध संस्थान में बीए-एलएलबी, बीबीए-एलएलबी, एलएलबी व एलएलएम में अध्ययनरत छात्रों के लिए विश्वविद्यालय ने कड़े निर्देश जारी किए हैं।

25 मई तक यूटीयू से संबद्ध कालेज के छात्रों को जमा करवाना होगा शपथ पत्र

10 अक्टूबर 2024 तक मांगे गए शपथ पत्र, प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं की गई है

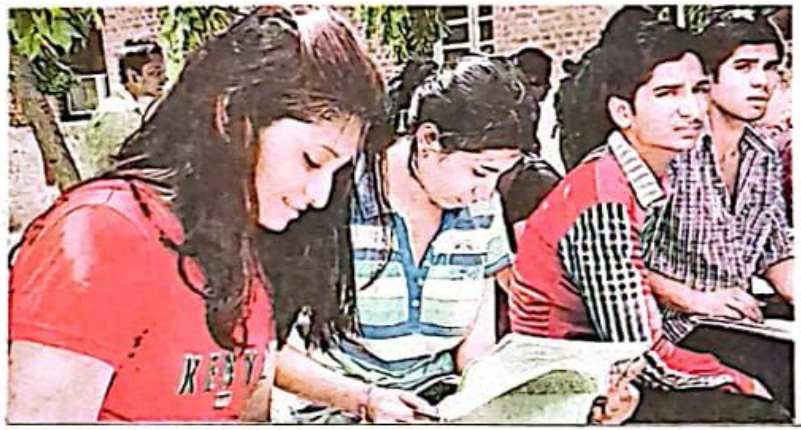

बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआइ) के निर्देश देशभर के विधि संस्थानों में पढ़ने वाले विधि के छात्रों के लिए हैं। खेदजनक है कि इस प्रकार के निर्देश को न छात्रों ने गंभीरता से लिया और न संबद्ध संस्थान इसके महत्व को समझ पा रहे हैं। विवि ने संबद्ध सभी संस्थानों को छात्रों की सूची जारी की है जिन्होंने अभी तक शपथ पत्र नहीं दिए हैं। ऐसे छात्र तत्काल शपथ पत्र दें अन्यथा परीक्षा परिणाम से वंचित रखे जाएंगे।

प्रो. ओंकार सिंह, कुलपति वीर माधो सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विवि

विवि के परीक्षा नियंत्रक डा. वीके पटेल ने समस्त संस्थान के निदेशक और प्राचार्य को पत्र जारी किया। बताया कि वीर माधो सिंह भंडारी तकनीकी विश्वविद्यालय से सभी संबद्ध विधि कालेज को स्पष्ट रूप से निर्देशित किया गया है कि 10 अक्टूबर 2024 तक मांगे गए शपथ पत्र की प्रक्रिया अब तक पूरी नहीं की गई है, जो खेदजनक है। विवि ने चेतावनी दी है कि यदि 25 मई 2025 तक छात्रों की समस्त शपथ पत्र (अंडरटेकिंग) और आवश्यक सूचनाएं विश्वविद्यालय को नहीं सौंपी गईं, तो संबंधित छात्रों का विषम सेमेस्टर-2024-25 का परीक्षाफल घोषित नहीं किया जाएगा।

बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने 24 सितंबर 2024 को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसके तहत सभी विधि संस्थानों को यह सुनिश्चित करना होगा कि कोई भी विधि छात्र एक से अधिक नियमित डिग्री में नामांकित नहीं हैं। छात्र के ऊपर कोई भी आपराधिक मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए। छात्र नियमित पढ़ाई के दौरान दूसरी जगह नौकरी नहीं कर सकता है। कक्षाओं में बायोमेट्रिक उपस्थिति सुनिश्चित की जाए।

कक्षाओं में सीसीटीवी कैमरे अनिवार्य रूप से लगाए जाएं और रिकार्डिंग कम से कम एक वर्ष तक संरक्षित की जाए। इन प्रविधानों के अनुपालन की पुष्टि के लिए छात्रों से निर्धारित अंडरटेकिंग फार्म भरवाकर विश्वविद्यालय को सूची सहित जमा कराना आवश्यक किया गया है। यूटीयू के परीक्षा नियंत्रक ने स्पष्ट किया है कि यदि बीसीआइ के मानकों के अनुरूप अभिलेख प्रस्तुत नहीं किए गए, तो संबंधित छात्रों का परीक्षा परिणाम रोका जाएगा, जिसकी पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित संस्था एवं छात्र की होगी।